

7¹⁰/₂₄ पत्रावली देगा अधि. उभयपक्ष धाजिर / पूर्व पेन्की
 पर अधि. उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र को रिपोर्ट
 तहसीलदार इमाउ डब्बा दिनांक 29/08/2024 के
 अनुसार स्वीकार करने में अपनी सहमति प्रदान की है।
 पत्रावली मय रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन
 किया गया। सभी तथ्यों से सन्तुष्ट होने पर प्रार्थना-
 पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व
 ग्राहक खेरी कायमान परवार हल्का रघुनाथपद
 तहसील व जिला सीकर की जमाव-की सम्बर
 2075 - 2078 के खाला संख्या 270 में खालेदार
 का नाम मोहन चंद्र राम कुत्र ब्यालीराम के स्थान
 पर वासुदेव कुत्र ब्यालीराम करने की स्वीकृति
 भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के प्रावधानों के
 तहत प्रदान की जाती है। रिपोर्ट तहसीलदार निर्णय
 का भाग रहेगा। पत्रावली फंसल कुमाए होम नम्बर
 से कम है। बाजिल रफ्तार है। निर्णय आज मेरे
 दस्तखत से हुआ।



उपखण्ड अधिकारी, सीकर